



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230820
CG-DL-E-29102021-230820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4158]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943

No. 4158]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4519(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा ;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उप-जिला अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर (इन्टीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब दादरी को वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के नया दादरी स्टेशन से रेल कनेक्टिविटी देने के लिए) जिला गौतमबुद्धनगर में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित, संक्षिप्त विवरण:—

जिला—गौतमबुद्धनगर,

राज्य—उत्तर प्रदेश

क्रम संख्या	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	दादरी	दादरी	दादरी	1801	0.0126	कृषि भूमि
				1802	0.0616	कृषि भूमि
				1803	0.0198	कृषि भूमि
				1804	0.0043	कृषि भूमि
				1797	0.0259	नाली
				1798	0.0260	चकमार्ग
				1842/2579	0.2205	नवीन परती/बंजर
				1842	0.2393	कृषि भूमि
				1843	0.0880	कृषि भूमि
				1841	0.0320	चकमार्ग
				1835	0.0248	कृषि भूमि
				1823	0.0240	कृषि भूमि
				1820	0.0041	चकमार्ग
				1819	0.0045	कृषि भूमि
				1822	0.0214	कृषि भूमि
				1825	0.2939	कृषि भूमि
				1821	0.0026	कृषि भूमि
				1817	0.0365	चकमार्ग
				1816	0.0300	नाली
				1900	0.0153	कृषि भूमि
				1899	0.0824	कृषि भूमि
				1826	0.0496	ऊसर
				1889	0.1278	कृषि भूमि
				1888	0.0805	कृषि भूमि
				1887	0.0052	कृषि भूमि
				1890	0.0237	चकमार्ग
				1891	0.0060	नाली

				1897	0.0014	कृषि भूमि
				1898	0.2005	कृषि भूमि
				1893	0.2124	कृषि भूमि
				1894	0.4367	कृषि भूमि
				1895	0.3473	कृषि भूमि
				1896	0.0020	कृषि भूमि
				1937	0.0013	
				1936	0.0020	चकमार्ग
				1945	0.0013	नाली
				1977	0.0882	कृषि भूमि/रास्ता
				2079	0.0391	चकमार्ग
				2185	0.0307	
				2184	0.0084	चकमार्ग
				2183	0.0112	कृषि भूमि
				2338	0.0882	कृषि भूमि
				2340	0.4108	कृषि भूमि
				2339	0.0189	कृषि भूमि
				2341	0.3323	कृषि भूमि
				2342	0.0152	चकमार्ग
				2343	0.0195	नाली
				2344	0.4485	कृषि भूमि
				2345	0.3115	कृषि भूमि
				2367	0.0233	रास्ता
				2526	0.1822	कृषि भूमि
				2535	0.0140	नाली
				2536	0.0500	चकमार्ग
				2537	0.0144	कृषि भूमि
				2538	0.0170	कृषि भूमि
				2539	0.0171	कृषि भूमि
				2540	0.0591	कृषि भूमि
				2541	0.3150	कृषि भूमि
				2542	0.0449	कृषि भूमि
				2527	0.0037	नाली
				2532	0.0295	कृषि भूमि

				2533	0.0021	चकमार्ग
				2534	0.0038	कृषि भूमि
				2556	0.0316	चकमार्ग
				योग	5.3974	
(2)	दादरी	दादरी	कटैहरा	35	0.0316	नाली
				36	0.3277	कृषि भूमि
				37	0.0206	कृषि भूमि
				38	0.0762	कृषि भूमि
				39	0.0142	नाली
				43	0.0022	कृषि भूमि
				44	0.2724	कृषि भूमि
				45	0.0079	कृषि भूमि
				77	0.0206	रास्ता
				93	0.0723	कृषि भूमि
				91	0.0632	कृषि भूमि
				92	0.1997	कृषि भूमि
				90	0.0007	कृषि भूमि
				89	0.1828	कृषि भूमि
				88	0.6168	कृषि भूमि
				94	0.0063	नाली
				87	0.0400	कृषि भूमि
				योग	1.9552	
(3)	दादरी	दादरी	पाली	1	0.0132	नाली
				11	0.3875	कृषि भूमि
				योग	0.4007	
			कुल योग		7.7533	

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2239]

राकेश चौधरी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4519(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the

schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Gautam Budh Nagar in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under Section 20D sub-section (1) of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Deputy Collector, Gautambudhnagar, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the district Gautam Budh Nagar for the purpose of Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor (to provide rail connectivity to integrated Multi Model logistic hub at Dadri with new Dadri Station of Western Dedicated freight Corridor) in the State of Uttar Pradesh.

Name of the District- Gautam Budh Nagar

Name of the State-Uttar Pradesh

Serial Number	Tehsil	Pargana	Name of the Village	Survey Number	Area Propose for land Acquisition (in hectares)	Nature of Land
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Dadri	Dadri	Dadri	1801	0.0126	AGRICULTURAL
				1802	0.0616	AGRICULTURAL
				1803	0.0198	AGRICULTURAL
				1804	0.0043	AGRICULTURAL
				1797	0.0259	NAALI
				1798	0.0260	CHAKMARG
				1842/2579	0.2205	NAVEEN PARTI/BANJAR
				1842	0.2393	AGRICULTURAL
				1843	0.0880	AGRICULTURAL
				1841	0.0320	CHAKMARG
				1835	0.0248	AGRICULTURAL
				1823	0.0240	AGRICULTURAL
				1820	0.0041	CHAKMARG
				1819	0.0045	AGRICULTURAL
				1822	0.0214	AGRICULTURAL
				1825	0.2939	AGRICULTURAL
				1821	0.0026	AGRICULTURAL
				1817	0.0365	CHAKMARG

				1816	0.0300	NAALI
				1900	0.0153	AGRICULTURAL
				1899	0.0824	AGRICULTURAL
				1826	0.0496	USSAR
				1889	0.1278	AGRICULTURAL
				1888	0.0805	AGRICULTURAL
				1887	0.0052	AGRICULTURAL
				1890	0.0237	CHAKMARG
				1891	0.0060	NAALI
				1897	0.0014	AGRICULTURAL
				1898	0.2005	AGRICULTURAL
				1893	0.2124	AGRICULTURAL
				1894	0.4367	AGRICULTURAL
				1895	0.3473	AGRICULTURAL
				1896	0.0020	AGRICULTURAL
				1937	0.0013	
				1936	0.0020	CHAKMARG
				1945	0.0013	NAALI
				1977	0.0882	AGRICULTURAL/RAASTA
				2079	0.0391	CHAKMARG
				2185	0.0307	
				2184	0.0084	CHAKMARG
				2183	0.0112	AGRICULTURAL
				2338	0.0882	AGRICULTURAL
				2340	0.4108	AGRICULTURAL
				2339	0.0189	AGRICULTURAL
				2341	0.3323	AGRICULTURAL
				2342	0.0152	CHAKMARG
				2343	0.0195	NAALI
				2344	0.4485	AGRICULTURAL
				2345	0.3115	AGRICULTURAL
				2367	0.0233	RAASTA
				2526	0.1822	AGRICULTURAL
				2535	0.0140	NAALI
				2536	0.0500	CHAKMARG
				2537	0.0144	AGRICULTURAL
				2538	0.0170	AGRICULTURAL
				2539	0.0171	AGRICULTURAL
				2540	0.0591	AGRICULTURAL
				2541	0.3150	AGRICULTURAL

				2542	0.0449	AGRICULTURAL
				2527	0.0037	NAALI
				2532	0.0295	AGRICULTURAL
				2533	0.0021	CHAKMARG
				2534	0.0038	AGRICULTURAL
				2556	0.0316	CHAKMARG
				Total	5.3974	
(2)	Dadri	Dadri	Katehra	35	0.0316	NAALI
				36	0.3277	AGRICULTURAL
				37	0.0206	AGRICULTURAL
				38	0.0762	AGRICULTURAL
				39	0.0142	NAALI
				43	0.0022	AGRICULTURAL
				44	0.2724	AGRICULTURAL
				45	0.0079	AGRICULTURAL
				77	0.0206	RAASTA
				93	0.0723	AGRICULTURAL
				91	0.0632	AGRICULTURAL
				92	0.1997	AGRICULTURAL
				90	0.0007	AGRICULTURAL
				89	0.1828	AGRICULTURAL
				88	0.6168	AGRICULTURAL
				94	0.0063	NAALI
				87	0.0400	AGRICULTURAL
				Total	1.9552	
(3)	Dadri	Dadri	Pali	1	0.0132	NAALI
				11	0.3875	Agriculture
				Total	0.4007	
			Grand Total		7.7533	

[F. No. 2021/LML-II/12/1/WC/2239]

RAKESH CHOUDHARY, Executive Director (Land and Amenities)